

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2062]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 10, 2014/आश्विन 18, 1936

No. 2062]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 10, 2014/ASVINA 18, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2014

का. आ. 2607(अ).—केन्द्रीय सरकार, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 482(अ), तारीख 6 अगस्त, 1974 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

2. उक्त अधिसूचना की, सारणी में “धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित” शीर्षक के अधीन, क्रम संख्यांक 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का विलोप किया जाएगा।
3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

[सं. जेड.28016/03/2004-एचपीसी]

राज प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या का. आ. 482(अ), तारीख 6 अगस्त, 1974 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का.आ. 1960(अ), 28 जून, 2013 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th October, 2014

S.O. 2607 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Health and Family Planning (Department of Health) number S.O. 482(E), dated the 6th August, 1974, namely:—

2. In the said notification, in the Table, under the heading “Elected under clause (b) of sub-section (1) of Section 3”, serial number 12 and the entries relating thereto shall be omitted.
3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[No. Z.28016/03/2004-HPC]

RAJ PRATAP SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal notification were published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 482(E) dated the 6th August, 1974 and last amended vide notification number S.O. 1960 (E) dated the 28th June, 2013.